न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. हसन खां पुत्र श्री दायम खां जाति मुसलमान साकिन 2 ए.एल.एम. (अलदीन) तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, राजस्थान।

.........वादी

बनाम

1 असलम
2 अकरम
3 याकुब
} पुत्र श्री नबीबक्श जाति मुसलमान साकिन 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान

4 उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

........प्रतिवादीगण

वद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 19/12/2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला का मु.न. 164/8 के किन. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12 सालम, 13/1, 18/1, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/2 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 5 बी.जी.एम. के मु.न. 164/8 के कि.न. 3/2, 4 ता 7 सालम, 8/2, 13/2, 14 ता 17 सालम, 18/2, 23/3, 24/2, 25/1 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 28.07.2015 को कुल प्रतिफल 21 लाख 11 हजार रूपये में खरीद करने का सौदा किया। इस हेतु बतौर अग्रिम राशि 18 लाख 21 हजार रूपये अदा कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा मौके पर वादी को सम्भला दिया गया, बकाया राशि 3 लाख रूपये 31 दिसम्बर तक भुगतान किया जाना था तथा बैयनामा पंजीबद्व करवाना था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 18 दिसम्बर को बैयनामा वादी के हक में पंजीबद्व करवाने से मना कर दिया। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद हैतुक हासिल हुआ। वादी का जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा उक्त वादगत भूमि पर भौतिक कब्जा है। प्रतिवादीगण जबरन वादगत भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

19/12

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला जिला–बीकानेर

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वाद–पत्र जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। ईकरारनामा की अनुपालना के संबध में अनुतोष प्राप्त करने का वाद–पत्र केवल सिविल न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। यह वाद–पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः वाद–पत्र क्षेत्राधिकार के विधिक इश्यू आधार पर खारिज किया जावे।

दोनों पक्षो की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद–पत्र श्रवणाधिकार न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

19/12/17

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)